दी वा स 31/18 सी आई एस 137/18

शंकर बनाम बुद्धाराम

22.01.2020

वकील वादी श्री रामस्वरूप उपस्थित। वकील प्रतिवादी श्री एस सी राजोरिया उपस्थित ।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 8 नियम 1 (3)दी प्र सं पर बहस सुनी गई ।

प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में अभिलिखित किया है कि प्रतिवादी सं 1 व अन्य प्रतिवादीगण के मध्य एक अन्य प्रकरण बुद्धालाल बनाम इन्द्रजीत अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है ,प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद से दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की है जो वर्तमान वाद के निस्तारण हेतु सुसंगत है ,प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया ।

प्रार्थना पत्र का वादी की ओर से जवाब पेश नहीं किया गया ।

बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया । अधिवक्ता वादी ने प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली साक्ष्य वादी में लम्बित है । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को रेकर्ड पर नहीं लेने पर प्रतिवादी अपना समुचित पक्ष नहीं रख पायेगा जबकि वादी को दस्तावेजों के संबंध में जिरह का पूर्ण अवसर मिलेगा । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेजों को रेकर्ड पर लिया जाता है।

पत्रावली वास्त साक्ष्य वादी में दिनांक 13.02.2020 को पेश हो।